सं॰ 2065/ओ॰सी॰/ई॰आर॰/2023

संख्या 948/33-3-2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन

CDO / DPRO

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

GAURANG RATHI
DM BHADOHI

Digitally signed by GAURANG RATHI DM BHADOHI
Date: 2023.05.26 12:44:51 +05'30'

पंचायती राज अनुभाग-3

दिनांकः 25 मई, 2023

विषयः प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10-25 निर्धनतम परिवारों के त्वरित गरीबी उन्मूलन हेतु कार्यक्रम विषयक।

महोदय,

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1947 की धारा-15 में ग्राम पंचायतों के कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन-15 (xvi) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा कृषि कॉटेज एवं विलेज इण्डस्ट्री व अन्य सहायक क्षेत्रों में कार्य करने की जिम्मेदारी पंचायतों को दी गयी है।

उक्त के क्रम में कृपया विभागों के रोजगार परक योजनाओं तथा डी0बी0टी0 (Direct benefit Transfer) द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे लाभ को समेकित रूप से 500,000 (पाँच लाख) निर्धनतम (Ultra-poor) परिवारों पर लक्षित करते हुए इन परिवारों के त्वरित गति से निर्धनता उन्मूलन के सम्बन्ध में यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 136/ 38-6-22-ई-02/ 2021 दिनांक अप्रैल 19, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को शासन के 14 विभागों के 46 योजनाओं द्वारा लाभ दिलाये जाने के कार्यक्रम का उल्लेख है।

1. संदर्भ

सम्पूर्ण गरीबी उन्मूलन एवं अगले 5 वर्षों में हर परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वः रोजगार के अवसर प्रदान करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में शासन द्वारा कई सफल नवाचार विगत वर्षों में किये गये हैं। गरीबी उन्मूलन एक बहुआयामी दृष्टिकोण है, अतः ये आवश्यक है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रूपरेखा भी बहुआयामी हो। यह उचित होगा कि महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य व आजीविका संवर्द्धन आदि विषयों में "Sectoral approach" के स्थान पर एक "Integrated Approach" के साथ कार्य किया जाये।

सभी विभागों के मध्य समन्वय के बाद भी, योजनाओं के लाभों का समेकित प्रभाव किसी विशिष्ट लाभार्थी वर्ग के लिए लक्षित करना एक कठिन कार्य है, इस कार्य का कोई consolidated रिपोर्ट शासन के लिए जेनरेट नहीं होता है। शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त अलग अलग योजनाओं के लाभों को समेकित रूप से चयनित <u>निर्धनतम परिवारों</u> पर लक्षित कर, उनके ग़रीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को त्वरित और प्रभावी बनाया जा सकता है। यह शासनादेश इस नवाचार के लिए उद्देशित है। जैसा कि संदर्भित अप्रैल 19, 2022 के शासनादेश में उल्लेख है, डीबीटी से संबंधित नवाचार यूनिसेफ़ द्वारा सहायतित की गई है। निर्धनतम परिवारों के पहचान तथा उन में योजनाओं के समेकित लाभ की डिलीवरी की परियोजना PCI Global के सहायता से लागू की जा रही है, जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी के रूप में कार्य कर रहें हैं।

2-परियोजना की रूपरेखा

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 से 25 निर्धनतम परिवार, पूरे प्रदेश में लगभग 500,000 ऐसे परिवारों की पहचान कर उन्हें स्वयं सहायता

समूहों के नेटवर्क के अन्तर्गत लाते हुए, शासन की समस्त परियोजनाओं यथा, आवास, मनरेगा/ रोज़गार योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा व विकलांग पेंशन, क्षमता निर्माण, आजीविका संवर्द्धन गतिविधि, श्रम विभाग की योजनाओं, स्वास्थ्य बीमा आदि अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए, उन्हें त्वरित गति से व निश्चित समयावधि में गरीबी से बाहर निकाला जाये।

ग्राम प्रधान के नेतृत्व में प्रत्येक ग्राम पंचायत में निवास कर रहे गरीब परिवारों में निम्नांकित वलनरेबिलिटीज़ (vulnerabilities) को ध्यान में रखते हुए निर्धनतम परिवारों की पहचान व पंजीकरण किया जाना है । जिन वलनरेबिलिटीज़ (vulnerabilities) के असर से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को निर्धनतम श्रेणी में अंकित किए जा सकते हैं, वे निम्नवत् हैं –

- अकेली गरीब महिला विधवा/ परित्यक्त/ निराश्रित);
- अनुसूचित जाति/ जनजाति;
- गरीब परिवार का मुखिया बृद्ध (65 वर्ष या उस से ज़्यादा उम्र) और एकमात्र कमाऊ सदस्य;
- परिवार का मुखिया विकलांग और एकमात्र कमाऊ सदस्य;
- परिवार जो ग़रीबी रेखा से नीचे या गरीब परिवार के सदस्य/ मुखिया प्रवासी मज़दूर हैं;
- गरीब परिवार जो आपदा-प्रभावित क्षेत्र में निवास करते हैं;
- परिवार गरीब और भूमिहीन है;
- परिवारगरीब हो और उनका मुख्य आजीविका शिल्पकारी/ हस्त शिल्प है;
- परिवार गरीब है; उनके सदस्य/ मुखिया दैनिक मज़दूरी करते हैं;
- गरीब परिवार का कोई सदस्य या मुखिया अति-गंभीर बीमारी से ग्रसित है;

गाँव में निवास कर रहे गरीब परिवारों के मध्य से, 10-25 निर्धनतम परिवारों की पहचान करने के लिए ग्राम प्रधान, ग्राम स्तरीय कर्मचारी, जैसे ग्राम पंचायत सहायक, रोज़गार सेवक, ग्राम स्वच्छता कर्मी आदि तथा आजीविका मिशन के सामुदायिक कैडर, जैसे वीसी सखी, समूह सखी आईसीआरपी इत्यादि को अपने साथ संवद्ध कर सकेंगे । इन्हें डिजिटल प्लेटफार्म पर संवद्ध किया जा सकेगा जिसका विवरण व दिशा-निर्देश <u>संलग्नक 1</u>में प्रस्तुत किया गया है ।

ग्राम पंचायतों द्वारा संकलित परिवारों के कम्पोजिट पावर्टी इंडेक्स/Composite Poverty Index (CPI) द्वारा कंप्यूटराइज्ड रेटिंग के पश्चात निर्गत अंतिम सूची सभी डीवीटी-संदर्भित विभागों को एक यूनिफाइड पोर्टल (http://dbtup.org)के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी । सभी डीवीटी-संदर्भित विभाग ये आँकलन करते हुए कि इन 5 लाख निर्धनतम परिवारों के किसी विशेष योजना के पात्रता के सापेक्ष किन परिवारों को योजनाओं के लाभ दिये जा रहे हैं तथा किनको लाभ दिया जाना शेष है, अपनी विभागीय प्राथमिकता निर्धारित करेंगे तथा यूनिफाइड पोर्टल पर तात्कालिक क्रम में रिपोर्ट अपडेट करेंगे । शासन के स्तर पर ऐसे सभी प्रावधानों के 5 लाख परिवारों में त्वरित डिलीवरी तथा उनके पेंडेंसी की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जायेगी, ताकि आगामी 1 वर्ष के अंदर इन सभी परिवारों को योजना-गत या अन्य शासकीय/ विशेष प्रावधानों द्वारा समुचित मदद करते हुए ग़रीवी से वाहर निकाला जाना सुनिश्चित किया जा सके ।

3- थर्ड पार्टी मूल्याङ्कन

उल्लिखित निर्धनतम परिवार के ग़रीबी उन्मूलन परियोजना की प्रगति का समय समय पर आँकलन करने के लिए शासन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय संस्थानों को empanel करते हुए उनके माध्यम से प्रगति तथा परियोजना का प्रभाव आंकलित करेगी । इन आंकलनों से प्राप्त सीख/ अनुशंसा संवंधित विभागों को संप्रेषित करते हुए उन्हें शासकीय निर्णय में सम्मिलित करने का अवसर दिया जाएगा।

टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म http://dbtup.org में सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, ब्लॉक, ज़िला तथा राज्य स्तर के विभागीय तथा शासकीय अधिकारियों को परियोजना के प्रगति तथा प्रभाव के विषय पर अपने टिप्पणी प्रस्तुत करने का प्रावधान उपलब्ध होगा ।

4- टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन (संलग्नक संदर्भित)

इस परियोजना के कार्यान्वयन में, विशेष कर अंतर-विभागीय समन्वय में, डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रस्ताव है । ना सिर्फ़ 5 लाख निर्धनतम परिवारों का कंप्यूटर-रेटेड अंतिम चयन, वल्कि हर योजना-गत प्रावधानों का प्रत्येक परिवार में समयवद्ध डिलीवरी या पेंडेंसी, यूनिफाइड पोर्टल पर रिपोर्ट किया जाना अनिवार्य होगा, ताकि शासकीय आख्या और संबंधित निर्णय के प्रक्रिया में कोई बिलम्ब ना हो ।

परियोजना में लागू होने वाले डिजिटल संरचना के दो विशिष्ट भाग होंगे –पहला: वेब-इनेवल्ड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर जो कि सभी विभागों के अधिकारी से लेकर ग्राम स्तरीय कर्मचारी, उपयोग कर पायेंगे । इसके माध्यम से उन्हें ना सिर्फ़ स्वयं के विभागीय कार्यवृत्त का रियल टाइम रिपोर्ट्स मिलेंगे, वल्कि लाभार्थिओं द्वारा प्रेषित अपडेट, एकनॉलेजमेंट तथा सैटिसफैक्शन रेटिंग उपलव्ध होंगे । डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े तत्व तथा उनके फंक्शनल आयामों पर दिशानिर्देश संलग्न हैं ।

5- बी सी सखी कार्यक्रम की भूमिका

यह आपके जानकारी में है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 21.05.2020 को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी (वी0सी0 सखी) प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में चिन्हित कर प्रशिक्षित करते हुए तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया था। अव तक, मिशन ने 50,000 से ज्यादा वी.सी. सखियों को प्रशिक्षित कर लगभग 36,000 वीसी सखियों को तैनात किया है, जिन्होंने पिछले लगभग दो वर्षों में 5.4 करोड़ वैंकिंग ट्रांजेक्शन के माध्यम से 13,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का लेनदेन किया है तथा लगभग रू. 35 करोड कमीशन के रूप में अर्जित किया है। यह ध्यान देने योग्य विंदु है कि जिन क्षेत्रों में वैंकों भी अपनी पंहुच नहीं वना पायी हैं, ऐसे क्षेत्र के ग्रामीणों को, जिनमे से ज़्यादातर गरीव व महिलायें हैं, 5.4 करोड़ बार वैंक व्रांच नहीं जाना पड़ा !

शासन की सोच है कि सभी डीवीटी-संदर्भित विभागों के लाभों से संबंधित बैंकिंग सेवाएँ; जैसे कि रुपये निकालना, जमा करना या ट्रांसफ़र करना आदि, वीसी सखी द्वारा सहज ही संपन्न किया जा सकेगा । राज्य आजीविका मिशन द्वारा वीसी सखी योजना जैसी अभूतपूर्व उपलब्धि सफल डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हासिल किया है, जो कि पूरे राष्ट्र में इकलौता उदाहरण है । हर वीसी सखी के प्रत्येक ट्रांजेक्शन की सूचना इम्पैनल्ड बैंकों के माध्यम से मिशन, विभाग तथा शासन को रियल टाइम पर उपलव्ध होता है । वीसी सखी कार्यक्रम के माध्यम से चयनित 5 लाख निर्धनतम परिवारों को डीवीटी के आहरण/ वैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति वीसी सखियों के माध्यम से निःशुल्क सुनिश्चित की जायेगी ।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न दिशा निर्देश के अनुपालन में निर्धनतम परियोजना के विषय में जनपद के समस्त प्रधानों, खण्ड विकास अधिकारियों आदि को सूचित करते हुए परियोजना का समयवद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Manoj 25.5.23

(मनोज कुमार सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या- 948/33-3-2023 तदृदिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , संस्थागत वित्त , खाद्य एवं रसद , कृषि , दिव्यांगजन , शिक्षा , ऊर्जा , स्वस्थ्य , कौशल विकास , श्रम , पंचायती राज , समाज कल्याण , ग्राम्य विकास तथा महिला एवं बाल विकास विभाग , उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी , उत्तर प्रदेश ।

3-राज्य मिशन निदेशक , उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश ।

4-समस्त खंड विकास अधिकारी , उत्तर प्रदेश।

5-समस्त ग्राम प्रधान , उत्तर प्रदेश ।

6-कंट्री डायरेक्टर , पी सी आई ग्लोबल , नई दिल्ली ।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

कृषि उत्पादन आयुक्त।

<u>संलग्नक 1:</u>

परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित दिशा-निर्देश

1. निर्धनतम परियोजना को शासन द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के तहत, Monitoring of Poverty, Uttar Pradesh (Mop-UP/ मॉप-अप) के नाम से जाना जा सकता है ।शासकीय या विभागीय पत्रावली में निर्धनतम परियोजना को अंग्रेज़ी में अल्ट्रा-पुअर (Ultra-poor)भी कहा जा सकेगा । परियोजना से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम (Ecosystem) में जो वेब-आधारित या मोबाइल आधारित एप्लीकेशन प्रयोज्य होंगे वे निम्नवत् है –

1.1. यूनिफाइड पोर्टल: <u>http://dbtup.org</u>

सभी विभागों के लिए इसी पोर्टल में उनके विभाग के नाम प्रीफ़िक्स में उल्लेख होगा, जैसे, ग्राम्य विकास विभाग के लिए पोर्टल का नाम स्वतः <u>http://rd.dbtup.org</u> होगा; या बेसिक एजुकेशन विभाग के लिए पोर्टल का नाम <u>http://basic-education.dbtup.org</u> उल्लेख होगा । चूँकि सभी विभागों के नाम का सूची पोर्टल के मेनू में स्पष्ट दिखेगा, इसलिए किसी भी विभाग के पोर्टल के नाम पर कोई असुविधा नहीं होगी ।

1.2. नोडल पोर्टल: <u>http://ultra-poor.upsrlm.org</u>

5 लाख निर्धनतम परिवारों का डेटाबेस राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म पर होगा क्योंकि ये सभी अंततः स्वयं सहायता समूह के इकोसिस्टम का भाग बनेंगे तथा मिशन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिशन इनके लिए एक प्रतिबद्ध फाइनेंसियल सपोर्ट सिस्टम सुनिश्चित करेगी ।

1.3. **'मॉप-अप'**(Mop-up) **मोबाइल ऐप**

वेब-इनेबल्ड एप्लीकेशन के सापेक्ष, डिजिटल टेक्नोलॉजी में मोबाइल ऐप का उपयोग ऐसे यूजर के लिये लक्षित है जिन्हें कंप्यूटर, कार्यस्थल इत्यादि की सुविधा नहीं है या जिनका फील्ड के कार्य से संबद्धता है । **मॉप-अप** मोबाइल ऐप का प्रयोग 5 लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान करने के लिए किया जाना है । ग्राम प्रधान व उनके ग्राम स्तरीय टीम इस ऐप का उपयोग करेगी । ग्राम प्रधान अपने टीम द्वारा पहचान किए गये परिवारों के प्रोफाइल को देखकर मोबाइल ऐप पर ही अपनी सहमति (approval) देंगे । ग्राम प्रधान तथा उनके द्वारा संबद्ध किए गये यूजर/ ग्राम स्तरीय टीम 7 से 10 दिन के अंदर 10-25 अति-गरीब परिवारों के पहचान करेंगे । मॉप-अप मोबाइल ऐप का लिंक निम्नवत् है ।
(<u>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triline.upsrlm.mopup</u>)

1.4. **रिश्ता (RISHTA) मोबाइल ऐप**

रिश्ता मोबाइल ऐप आजीविका मिशन द्वारा संचालित मोबाइल ऐप है जिस पर बीसी सखी के सभी गतिविधि व टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के विवरण रिपोर्ट होता है। रिश्ता ऐप बीसी सखी, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन व क्लस्टर संकुल के सदस्य उपयोग करते हैं । रिश्ता ऐप के माध्यम से, मिशन के डिजिटल प्लेटफार्म पर 5 लाख निर्धनतम परिवारों द्वारा डीबीटी की राशि व भुगतान से जुड़े बैंकिंग सेवाओं की सूचना शासन को उपलब्ध होगी । सभी विभागों से संबंधित डीबीटी भुगतान की लाभार्थिओं तक पहुँच की सूचना बीसी सखी द्वारा रिश्ता ऐप के माध्यम से रियल टाइम पर उनके पोर्टल के कंसोल पर उपलब्ध होगी । रिश्ता मोबाइल ऐप का लिंक निम्नवत् है ।
(<u>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triline.upsrlm.rishta</u>)

Manoj

विभागों की पोर्टल से संबद्धता; अन्य यूज़र्स जोड़ने के प्रावधान:

2. जैसा उल्लिखित पैरा 1.1 में संकेत किया गया है, हर विभाग के शासकीय तथा प्रशासनिक मुखिया का पदवार नाम तथा मोवाइल पोर्टल में पंजीकृत होगा। पोर्टल पंजीकृत सभी अधिकारी/ यूजर-एडमिन OTP (One-time password) सत्यापन के माध्यम से अपने मोवाइल नंवर http://dbtup.orgपोर्टल पर अलने विभाग के लिए बने कंसोल पर स्वतः अपनी पंहुँच वना पायेंगे । एकबार विभागीय यूजर-एडमिन अपने कंसोल पर प्रवेश करने के पश्चात, अपने विभाग के अन्य यूजर को स्वयं संबद्ध कर पायेंगे/ जोड़ पायेंगे (user-add) । ऐसे user-add किए गए अधिकारी/ व्यक्ति बिना किसी असुविधा के विभागीय कंसोल पर कार्य कर पायेंगे । किसी भी असुविधा होने पर वे टेक्नोलॉजी-एडमिन के ह्वाट्सऐप नंबर पर अपना संदेश देकर कभी भी संपर्क करेंगे। उनके सभी असुविधा/ सरोकार अगले 12 घंटे के अंदर संबोधित होंगे । टेक्नोलॉजी-एडमिन का ह्वाट्सऐप नंबर: 9070804050 हैं।

2.1. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्यालय तथा सभी ज़िलों के यूज़र्स, यथावत अपने संस्थागत टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म: http://upsrlm.orgपर ultra-poor प्रीफ़िक्स के साथ (http://ultra-poor.upsrlm.org)समस्त रिपोर्टिंग तथात् decision-enabling डैशबोर्ड देख पायेंगे ।

ग्राम प्रधानों द्वारा मॉप-अप ऐप के माध्यम से अल्ट्रा-पुअर टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म को उपयोग करने का दिशा निर्देश:

3. टेक्नोलॉजी हेल्पलाइन (क्लाउड-कॉलिंग सिस्टम) पर सभी ग्राम प्रधानों के मोवाइल नंबर पंजीकृत हैं । **सर्व-प्रथम**, टेक्नोलॉजी हेल्पलाइन द्वारा प्रधानों को उनके मोवाइल फ़ोन पर संपर्क किया जाएगा । OTP एसएमएस द्वारा उनके सत्यापन के पश्चात, उसी कॉल पर उन्हें SMS के माध्यम से चार सूचनाओं दी जायेगी । वे हैं: (1) परियोजना का नाम: मॉप-अप, निर्धनतम डीवीटी परियोजना (2) मॉप-अप मोवाइल ऐप की लिंक – जिसे महज़ टैप करते ही उनके फ़ोन पर ऐप इनस्टॉल हो जाएगा,(3) PIN नंवर, जो उनके मॉप-अप मोवाइल ऐप में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य होगा, एवं (4) टेक्नोलॉजी हेल्पलाइन का फ़ोन नंवर, जिस से वे टेक्नोलॉजी हेल्पलाइन को संपर्क कर सकेंगे तथा जिसे उन्हें अपने मोवाइल फ़ोन वुक पर दर्ज कर लेना उचित होगा ।

4. **तत्पश्चात्,** ग्राम प्रधान का अगला कदम होगा कि अपने ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों के पहचान करने के लिए ग्राम-स्तरीय स्थानीय टीम को टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म से संबद्ध करना – ताकि वे भी मॉप-अप मोवाइल ऐप का उपयोग कर सकें । ग्राम प्रधान को उनके प्रस्तावित ग्राम-स्तरीय टीम, जिन्हें उन्हें यूजर-ऐड/ संवद्ध करना है, के नाम, पद तथा मोवाइल नंवर मॉप-अप मोवाइल-ऐप पर ही स्वतः मिल जाएगा । उपलब्धता के आधार पर, ये ग्राम-स्तरीय सदस्य होंगे – (1) ग्राम पंचायत सहायक,(2) ग्राम पंचायत सचिव/ अधिकारी, (3) ग्राम रोज़गार सेवक, (4) आजीविका मिशन द्वारा तैनात समूह सखी या अन्य सामुदायिक कैडर, (5) बीसी सखी, इत्यादि ।इन्हें संवद्ध करने के पश्चात, ग्राम प्रधान इनके लिए ये लक्ष्य निर्धारित कर सकते है कि उन्हें कितने परिवारों की पहचान करनी है तथा उन परिवारों के विवरण मॉप-अप मोवाइल ऐप पर भरना है ।

5. अगले चरण में, जब ग्राम स्तरीय टीम गाँव में रहने वाले सभी गरीब परिवारों में से 10 से 25 निर्धनतम परिवारों की पहचान कर उनके विवरण मोवाइल ऐप पर भर देंगे, उनके विवरण ग्राम प्रधान अपने मोवाइल डैशबोर्ड पर ध्यानपूर्वक देखते हुए, सत्यापित करेंगे । सत्यापित किए गए परिवारों को कम्प्यूटर-आधारित रेटिंग के पश्चात, सभी डीवीटी-संदर्भित विभाग के वेब-कंसोल

Manoj

पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि उन परिवारों के सापेक्ष ये संकेत कर सकें कि उनमें से कितने को विभाग द्वारा योजनायों के लाभ दिये जा रहें है तथा कितनो को दिया जाना शेष है।

6. ग्राम प्रधान को एक बार निर्धनतम परिवारों के पहचान तथा सत्यापन के कार्य के पश्चात, अपने मोवाइल ऐप के डैशवोर्ड पर लगातार समीक्षा करना है कि विभागों द्वारा लाभ समय से निर्धनतम परिवारों को डिलीवर किया जा रहा है। वे अपने सुझाव, शिकायत या डिलीवरी में देरी को मोवाइल कंसोल पर संकेत कर सकेंगे या टेक्नोलॉजी हेल्पलाइन पर भी अपनी वात कह सकेंगे।

टेक्नोलॉजी हेल्पलाइन _ क्लाउड-कॉलिंग व्यवस्था/ अलट्र्स/ नोटिफिकेशन व मैसेजिंग

7. निर्धनतम परियोजना के टेक्नोलॉजी व्यवस्था के अन्तर्गत सभी संभावित निर्धनतम परिवारों के अलावा सभी ग्राम प्रधान एवं उनके ग्राम स्तरीय टीमों के सदस्यों का डेटावेस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। ऐसे सभी पंजीकृत यूज़र्स को टेक्नोलॉजी हेल्पलाइन द्वारा ना सिर्फ़ वेव-आधारित कॉल किया जाना संभव होगा वल्कि मॉप-अप मोवाइल ऐप के मध्य से उन्हें आवश्यकतानुसार अलर्ट, नोटिफिकेशन तथा अपडेट के संदेश दिया जाना संभव होगा। ऐसे भेजे गये सभी अलट्र्स/ नोटिफिकेशन या अपडेट मॉप-अप के रिकॉर्ड्स में यूजर के मोवाइल पर रिकॉर्ड के तौर पर उपलब्ध होगा ताकि उनके संदर्भ लिया जा सके। ये बहु-आयामी संप्रेषण व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल असमानता के दृष्टि में रखकर सोचा गया है ताकि कोई भी किसी ना किसी ना माध्यम का प्रयोग करते हुए अपनी वात संवंधित विभाग के ज़िला, राज्य या शासन तक पंहुँचा सके। अगर आवश्यक़ता हो तो मॉप-अप मोवाइल ऐप पर वॉइस मैसेज/ आवाज-आधारित संदेश की व्यवस्था की जायेगी ताकि कोई भी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से किसी भी सुदूर स्थान से भी अपनी वात शासन तक पंहुँचा सके।टेक्नोलॉजी हेल्पलाइन का नंवर है: 9070804050 व 9070804060।

<u>संदर्भ व्यक्ति:</u>

8. सभी विभागों के लिए निर्धनतम परियोजना के समन्वय के लिए निम्न नोडल व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है :–

8.1. श्री संदीप माझी, वरिष्ठ सलाहकार, कृषि उत्पादन आयुक्त, लखनऊ (मोवाइल-9415012006)

8.2. श्री रितेश शर्मा, राज्य सलाहकार (आरजीएसए), पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (मोवाइल- 8800690461)

8.3. श्री दिवाकर सिंह, राज्य कार्यक्रम प्रवंधक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम (मोवाइल- 7897184210)

8.4. श्री जॉर्ज फ़िलिप, राज्य प्रमुख, पीसीआई ग्लोवल, लखनऊ (मोवाइल- 99355 85222)

Manoj